



# भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव

**डॉ गुलनिशा**

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

आदर्श महाविद्यालय, नवाबगंज, बरेली

## प्रस्तावना

भारतीय समाज की सबसे गहरी और प्राचीन संरचनाओं में से एक जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो यह अपेक्षा की गई थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जातिगत असमानता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी और समानता आधारित समाज का निर्माण होगा। लेकिन व्यवहार में हुआ इसके विपरीत लोकतंत्र ने जातियों को नए सिरे से संगठित और सक्रिय किया। आज भारतीय राजनीति में जातिवाद न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है बल्कि नीतिगत निर्णयों, दलों के गठन और सत्ता-संतुलन तक में निर्णायक भूमिका निभाता है।

## जातिवाद और भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में जाति का प्रभाव प्राचीन काल से ही समाज पर रहा है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर श्रम और सामाजिक स्थिति का विभाजन आरंभ हुआ, जो धीरे-धीरे कठोर जातिगत ढाँचों में बदल गया। मध्यकाल में जातिगत पहचान और भी गहरी हुई। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने जनगणना के दौरान जातियों का वर्गीकरण किया, जिससे जातिगत चेतना और भी तेज हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी ने हरिजनों

और अस्पृश्यों की मुक्ति का प्रश्न उठाया, वहीं डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जाति-उन्मूलन और समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संविधान निर्माण में आंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए, जिससे राजनीति में जातिगत प्रतिनिधित्व को कानूनी मान्यता मिली।

## लोकतंत्र और जातिवाद

भारत का लोकतंत्र जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इस प्रतिनिधित्व ने जातियों को संगठित होकर अपने राजनीतिक हित साधने का अवसर प्रदान किया। आजादी के बाद शुरू के दो दशकों में कांग्रेस पार्टी ने सभी जातियों को एक व्यापक छतरी के नीचे संगठित रखने की कोशिश की, परंतु 1960 के दशक के बाद जातिगत चेतना और राजनीतिकरण तेज़ हो गया। विभिन्न जाति समूहों ने अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई और सत्ता में हिस्सेदारी की माँग की। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों का उभार इसी प्रवृत्ति का परिणाम है।

## चुनावी राजनीति में जातिवाद

भारतीय राजनीति का सबसे स्पष्ट आयाम चुनाव है और चुनावों में जातिवाद की भूमिका निर्विवाद है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर मतदान की प्रक्रिया तक जातिगत समीकरणों का गहरा असर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव जातिगत गणित पर आधारित होते हैं। राजनीतिक दल प्रायः इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके प्रत्याशी उस क्षेत्र की प्रमुख जाति से हों या फिर गठजोड़ इस प्रकार का हो कि जातीय वोट-बैंक सुनिश्चित हो सके। यहीं कारण है कि चुनाव-पूर्व गठबंधन भी प्रायः जातिगत समीकरणों के आधार पर बनाए जाते हैं।

## जातिवाद और राजनीतिक दल

जातिवाद ने भारतीय राजनीति में दलों के गठन और उनके एजेंडे को गहराई से प्रभावित किया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनका आधार विशेष जातियों और वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा है। बहुजन समाज पार्टी दलितों की राजनीति का प्रतीक बनी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए



संघर्षरत रहीं। इन दलों ने जातिगत पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की।

## आरक्षण नीति और जातिवाद

भारतीय राजनीति में आरक्षण नीति जातिवाद का सबसे बड़ा आधार है। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान किए गए। इसके परिणामस्वरूप हाशिए पर खड़ी जातियों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भागीदारी मिली। लेकिन आरक्षण ने जातिवाद को कम करने के बजाय कई बार और भी प्रबल कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद 1990 के दशक में पिछड़े वर्गों की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। इसने सामाजिक न्याय के नए विमर्श को जन्म दिया, पर साथ ही जातिगत ध्रुवीकरण भी गहरा किया।

## जातिवाद और सामाजिक न्याय

जातिवाद का राजनीतिकरण केवल सत्ता की होड़ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की आकांक्षा से भी जुड़ा है। सदियों से उपेक्षित जातियाँ राजनीति के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकी हैं। लोकतंत्र ने उन्हें बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ने का औज़ार दिया। यहाँ से "सामाजिक न्याय" की राजनीति का सूत्रपात हुआ। यह राजनीति भले ही जातिगत पहचान पर आधारित हो, लेकिन इसने समाज में समानता की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं।

## जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव

हालाँकि जातिवाद ने वंचित वर्गों को सशक्त किया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी गंभीर हैं।

**राष्ट्रीय एकता को चुनौती** - जातिगत राजनीति अक्सर समाज को विभाजित करती है और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती है।

**योग्यता पर जाति हावी** - कई बार नेतृत्व और अवसर जातीय समीकरणों के आधार पर तय होते हैं, न कि योग्यता और क्षमता के आधार पर।

**भ्रष्टाचार और अपराध** - जातिगत वोट-बैंक के लालच में दल अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को भी बढ़ावा देते हैं।

**विकास कार्यों की उपेक्षा** - जातिगत हितों को साधने की राजनीति कई बार राष्ट्रीय विकास और दीर्घकालिक नीतियों से समझौता कर लेती है।

## जातिवाद और समकालीन राजनीति

वर्तमान समय में जातिवाद का स्वरूप बदल रहा है। शहरीकरण, शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ जातिगत बंधन कुछ हद तक ढीले हुए हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। आज भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जातिगत संतुलन का ध्यान रखते हैं। हाल के वर्षों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे विमर्शों ने जातिवाद को कुछ हद तक पीछे धकेला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण अब भी निर्णायक हैं।

## निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में जातिवाद एक जटिल और बहुआयामी परिघटना है। इसने लोकतंत्र को गहराई तक प्रभावित किया है। एक ओर इसने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को राजनीतिक शक्ति दी है, वहीं दूसरी ओर इसने राष्ट्रीय एकता, विकास और योग्यता आधारित राजनीति को कमज़ोर किया है। भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ भविष्य के लिए आवश्यक है कि जातिगत पहचान को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाए, न कि केवल सत्ता प्राप्ति का साधन बनाया जाए। इसके लिए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और बौद्धिक वर्ग को मिलकर एक ऐसी राजनीति को प्रोत्साहित करना होगा जो जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे।

## संदर्भ सूची :

1. आंबेडकर, भीमराव. जाति का उन्मूलन. नवयुग प्रकाशन, 1946.
2. यादव, योगेंद्र. भारतीय लोकतंत्र में जाति और राजनीति. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.
3. जाफरेलट, क्रिस्टोफ़. भारत में जाति और राजनीति. पेंगुइन बुक्स, 2002.

4. पॉल, रजनी. भारतीय राजनीति का सामाजिक आधार.  
ओरिएंट लॉन्गमैन, 1989.
5. राय, रमाशंकर. भारतीय राजनीति में जातिवाद और  
लोकतंत्र. लोकभारती प्रकाशन, 2015.
6. Election Commission of India Reports  
(1952-2024).
7. विभिन्न समाचार-पत्रों और शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित  
आलेख।